न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हीराराम पुत्र भेराजी, जाति ग्रासिया, निवासी आमथला, तहसील आबूरोड़ हाल देलदर		सोमाराम पुत्र भेराजी जाति ग्रासिया, निवासी आमथला, तहसील देलदर के कायम मुकाम 1 सवाराम पुत्र सोमाराम के वारिस 1/1 छोगाराम पुत्र सवाराम 1/2 शंकरलाल पुत्र सवाराम 1/3 ताराराम पुत्र सवाराम व अन्य 8

राजस्व वाद संख्या 43/2015

दिनांक

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि मौजा आमथला में खसरा नंबर 76,92, 91 की कृषि भूमि वादी के खातेदारी की है। कि उक्त आराजी पर वादी काश्त करता है और वादी ही सरकार में लगान अदा करता है। कि राजस्व अधिकारियों की मिली भगती से सांठ गांठ कर राजस्व रेकर्ड में वादी भेरा पुत्र उदा के बजाय प्रतिवादी ने भेरा पुत्र कसा का नाम अंकित करा लिया तथा वर्तमान में प्रतिवादी के नाम अंकित है। अतः मौजा आमथला की खसरा नंबर 76, 92,91 की आराजी में प्रतिवादीगण के बजाय वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कराने व स्थायी निषेधाज्ञा हेत यह वाद पेश किया गया है।

हमने वाद दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी करें। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर कथन किया कि यह कृषिभूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पैत्रक भूमि है। विवादित भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रतिवादीगण का है। कि विवादित भूमि का लगान वादी अदा नही करता है बल्कि प्रतिवादीगण अदा करते है। कि वादी ने स्वयं माना है कि मृतक भैरा पुत्र केसा ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर रेकर्ड में हेर फेर करवा ली एवं राजस्व रेकर्ड से यह भी सही है कि प्रतिवादीगण के पूर्वजा का नाम कदीम से चला आ रहा है फिर भी वादी ने वर्षो बीत जाने के बाद की जानकारी होते हुये कोई कार्यवाही रेकर्ड दुरस्ती हेतु नही कि एवं इस वाद में भी वाद कारण उस हेतु नही बताया है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो पर मनन करने पर तनकीवार निम्न निर्णय पारित किया गया :–

1. <u>आया वादी आमथला के खसरा नंबर 76, 92, 91 की खातेदारी दुरस्ती करा अपने नाम करवाने का अधिकारी है</u> :– यह तनकी सिद्ध [illegible] भार वादी पर था। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 76, 91 व 92 [illegible] नंबर 52 व 65 था। संवत् 2020 से 2023 की जमाबंदी में खसरा नंबर 52 के [illegible] भेरा वल्द उदा कौम ग्रासिया का नाम अंकित है। प्रदर्श 2 में भू प्रबंध विभाग की खतौनी जमाबंदी में भैरा वल्द [illegible] नाम अंकित है। प्रदर्श 7, 8 व 9 की रसीदों से स्पष्ट है कि कब्जा वादी के पास है। प्रतिवादी के द्वारा पेश जमाबंदीया संवत् 2020 से 2030 के बाद की है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.04.23 17:13:39 IST
Reason: SelfAttested

2. आया विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी है एवं इस पर एक मात्र कब्जा व खातेदारी भी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की है:— यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 पर था। प्रतिवादी द्वारा पेश दस्तावेजों से कही स्पष्ट नही होता है कि आया विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी है एवं इस पर एक मात्र कब्जा व खातेदारी भी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया वादी ने राजस्थान सरकार को बिना पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये और उन्हे फोरमल पार्टी मानकर वाद पेश किया है जो सुनवाई योग्य नही है :— यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 7 पर था। प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया है कि सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिया गया है। चूंकि राज्य सरकार इस वाद में एक फॉरर्मल पक्षकार है तथा सरकार द्वारा इस बिंदु पर ट्रायल के दौरान कोई आपत्ति नही उठाई गई है। अतः इतने पुराने वाद को इस बिन्दु पर खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होगा। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

4. आया मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा कदीमी होने से एडवर्श परफैक्ट हो चुका है :— यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किंया है जिससे साबित हो की प्रतिवादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया वादी ने वाद पत्र के पद संख्या 4 व 8 मे राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में राजस्व रेकर्ड भरने, म्युटेशन आदि भरने का कथन किया है जबकि उन राजस्व अधिकारियों की कार्यवाही के विरूद्ध वादी ने न तो आज तक अपील की है और न ही उक्त कार्यवाहीयों को निरस्त या अपास्त करने की आज तक कोई कार्यवाही की है, इस बिनाम पर वादी का वाद खारिज योग्य है :—यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 पर था। चूंकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद एक मूल वाद है। वादी का नाम पुराने राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा है, तो उसे राजस्व न्यायालय में अपने हक की घोषणा कराने का अधिकार है इसके लियें नामान्तरण की अपील करना अनिवार्य पूर्व शर्त नही है । प्रदर्श 7, 8 व 9 की रसीदों से स्पष्ट है कि कब्जा वादी के पास है तथा प्रतिवादीगण ने कब्जे बाबत् कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया है। अतः इस वाद को धारा 88, 188 परिसीमा से बाधित नही माना जा सकता । वादी अपने निरंतर कब्जे को सुरक्षित रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की राहत पाने का पूर्ण विधिक अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

6. आया प्रतिवादीगण वादी से हर्जा खर्चा राशि रूपये 3000/— प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्राप्त करने के अधिकारी है : :—यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 पर था। चूंकि तनकी संख्या 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई हैं अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.04.23 17:13:39 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तथा तनकी संख्या 2 से 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 76, 91 व 92 का पुराना नंबर 52 व 65 था। संवत् 2020 से 2023 की जमाबंदी में खसरा नंबर 52 व 65 में भेरा वल्द उदा कौम ग्रासिया का नाम अंकित है। प्रदर्श 2 में भू प्रबंध विभाग की खतौनी जमाबंदी में भैरा वल्द उदा का नाम अंकित है। प्रदर्श 7, 8 व 9 की रसीदों से स्पष्ट है कि कब्जा वादी के पास है। प्रतिवादी के द्वारा पेश जमाबंदीया संवत् 2020 से 2030 के बाद की है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा मौजा आमथला की खसरा नंबर 76, 92 व 91 की

आराजी में वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती किये जाने के आदेश किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि उक्त आराजी से वादी को बेदखल नही करे। डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/4/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अंशु प्रिया)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.04.23 17:13:39 IST
Reason: SelfAttested